न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुकदमा नम्बर ... ...

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रा०पत्र 251 RTA ... 26/2012

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
26.12.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश एतराज प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.06.2023 एवं एतराज प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.10.2023 पर एवं मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 हेतु पेश हुई । वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित । प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकरान की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है । प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.06.2023 एवं एतराज प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.10.2023 का विस्तृत निर्णय मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 में ही लिखाया जा चुका है । जिसमें वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो एतराज प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.06.2023 एवं एतराज प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.10.2023 स्वीकार किये जाने योग्य नही पाये जाने पर खारिज किये जाते है । उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों के साथ ही मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का निणर्य भी पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । निर्णय अनुसार वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है । निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।	
	26/12/23 (आरएएस) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	सीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
86 / 2012	2012 / 00602	24.12.2012	26.12.2023

1. सुवा पुत्र मंगला
2. जगदीश पुत्र सुवालाल
3. शंकरलाल पुत्र सुवालाल

जाति अहीर निवासीगण ढाणी काल्यावाली तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

——— प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुदयाल
2. जगदीश
3. बद्री पुत्रगण माना
4. मंगला पुत्र गोधा के बजायः–

4/1 श्योनारायण

4/2 मालीराम पुत्रगण स्व0 मंगला

4/3 नाथी देवी पुत्री स्व0 मंगला पत्नी बन्नाराम

4/4 कोयली देवी पुत्री स्व0 मंगला पत्नी रूड़ाराम

4/5 गीता देवी पुत्री स्व0 मंगला पत्नी बाबूलाल

5. शिवदयाल पुत्र हणमान
6. बींजा पुत्र ईशरा के बजायः–

6/1 छीतरमल

6/2 मोहनलाल

6/3 नन्दाराम पुत्रगण स्व0 बींजा

6/4 कमला देवी पुत्री स्व0 बींजा पत्नी रुघनाथ

6/5 लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 बींजा प...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

7 हीरा

8 सुवालाल

9 बद्रीनार

10 कालूराम

पुत्रगण ईशरा

11 सिद्धराम पुत्र गोविन्दराम के बजाय:–

11/1 भगवानसहाय

11/2 रामेश्वर प्रसाद

11/3 उमेश

11/4 महावीर प्रसाद पुत्रगण स्व0 सिद्धाराम समस्त जाति अहीर निवासी तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर।

11/5 कमला देवी पुत्री स्व0 सिद्धराम

11/6 बिमला देवी पुत्री स्व0 सिद्धराम पत्नी, बीरबल

11/7 उर्मिला देवी उर्फ फूली पुत्री स्व0 सिद्धराम पत्नी ईश्वरलाल जाति अहीर निवासी तन ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर।

12. पटवारी हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

13. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर।

14. नागरमल पुत्र शंकरलाल

15. श्यामाराम पुत्र पन्नाराम जाति यादव निवासी ढ़ाणी गोलीड़ा तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

16. ओंकार प्रसाद दत्तक पुत्र मांगू जाति यादव निवासी ढ़ाणी पातड़्या वाली तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

17. गोपालराम पुत्र प्रभात जाति यादव निवासी ढ़ाणी मिश्राा वाली तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

18. छीतर दत्तक पुत्र रामनाथ जाति यादव निवासी ढ़ाणी पातड़या वाली तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

19. झिमकी देवी पुत्री फुली पत्नी मालीराम यादव हाल निवासी ढाणी पाट्यावाली तन ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

20 नानती पुत्री फूली पत्नी गणपतलाल जाति यादव निवासी वार्ड नम्बर 8 ढाणी बड़ा खेत ग्राम उदयपुरा गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।

21 बद्रीनारायण पुत्र कालू जाति यादव निवासी ढाणी पातड्या वाली तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

22 बलदेव पुत्र प्रभात जाति यादव निवासी ढाणी मिश्रावाली तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

23 रूडमल पुत्र कानाराम जाति यादव निवासी ढाणी पातडया वाली तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

24 रामेश्वर पुत्र गोविन्द ·

25. रिछपाल पुत्र गोविन्द जाति यादव निवासी ढाणी मिश्रा वाली तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

26. श्रवण देवी पत्नी छीतरमल जाति यादव निवासी ढ़ाणी पातड़या वाली तन ग्राम अणतपुरा पोस्ट दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर।

————अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री विक्रम सिंह बांकावत , एडवाकेट प्रार्थीगण की ओर से

श्री बनवारीलाल कुडी एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 4/1 ता 4/5, 5, 6/1 ता 6/5, 7 ता 10, 11/1 ता 11/7 की ओर से

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1309., 1308, 1307, कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है, जिसका प्राथी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1 काबिज खातेदार काश्तकार है तथा भूमि खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है । जिसके प्रार्थी नम्बर 2 व 3 काबिज खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी नम्बर 1 प्रार्थी नम्बर 2 व 3 का पिता है। प्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 1308 में अपने पुख्ता मकानात् व आवास बना रखा है। प्रार्थी की उक्त भूमि व आवास में उत्तरी तरफ भूमि खसरा नम्बर 1261 की रोड श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ जा रही है। प्रार्थीगण का भूमि खसरा नम्बर 1267, 1165, 1306 तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित 15 फुट चौड़ाई के रास्ता से आवागमन चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त रास्ता को बार–बार बंद कर देते है तथाा आवागमन में अवरोध पैदा करते रहते है, भूमि खसरा नम्बर 1267, 1165, 1306 के अप्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण की भूमि व मकानात में आवागमन का उपरोक्त रास्ता ही एक मात्र रास्ता है अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में काय करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीगण को अपने आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ाई के रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीगण इसके बदले में बाजार की दर कीमत अदा करने को तैयार है या इसके रकबा के बार कृषि भूमि देने को तैयार है। प्रार्थीगण का उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में कायम नही होने से प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है तथा प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति हो रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा कारित करते है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त रास्ता आवागमन के लिये दिलाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीगण माननीय अदालत की अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो की पालना करने को तैयार है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307 कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 हैक्टर व खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में व खसरा नम्बर 1308 में स्थित आवासीय मकानात् में आवागमन के 15 फुट चौड़ाई का रास्ता जो अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1267, 1165, 1306 तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधेपुर जिला सीकर राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित है जिससे प्रार्थीगण का [illegible] उसको राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाये जाने का आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी लाल कुडी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की ओर से एक दरख्वास्त दिनांक 18.04.2013 बाबत एतराज तहसीलदार रिपोर्ट पेष की । जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलाई गई । प्रार्थीगण द्वारा जबाब दरख्वास्त दिनांक 03.06.2013 को पेष किया गया। जिसकी नकल अप्रार्थीगण अधिवक्ता को दिलाई गई । अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काष्तकारी अधिनियम का इस आष य का पेष किया गया कि दरख्वास्त में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1307, 1308, 1309 प्रार्थी सुवालाल के नाम खातेदारी दर्ज होना व खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313 के खातेदारी भी प्रार्थीगण के होना स्वीकार है व भूमि खसरा नम्बर 1308 में प्रार्थीगण का निवास होना भी स्वीकार है और खसरा नम्बर 1261 में रोड होना स्वीकार है, शेष अस्वीकार है। शेष तथ्य जिस प्रकार दर्ज है और खसरा नम्बर 1308 में निवास करना स्वीकार है। इन खसरा नम्बर में से होकर प्रार्थीगण को कोई रास्ता नही है न था, ना कभी रहा, ना ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण ने यह तथ्य बदनियति से व अप्रार्थीगण की भूमि को बर्बाद करने की नियत से दर्ज किया है एवं प्रार्थीगण शुद्ध मन से व सद्भावना से अदालत के सामने नही आये है बल्कि मलीन भावना से प्रेरित होकर यह तथ्य दर्ज किये है। प्रार्थीगण की बदनियति इसी से स्पष्ट होती है कि नजरी नक्शा रास्ता लेने हेतु दिखाया है। उसमें खसरा नम्बर 1266 बीच में पड़ता है। वह चाह है और उसमें विधुत पम्पिंग सैट लगा है और कुए के पास अब सटाकर ट्यूबवैल बना रखा है एवं पानी की टंकी, होदी बना रखी है और इन तथ्यो को छुपाकर प्रार्थीगण ने यह दरख्वास्त पेश की है। कुंआ, ट्यूबवैल, गुमटी, होदी आदि की कीमत 10 लाख रूपये के है और बदनियत्ति से सभी तथ्य गलत दर्ज किये है और इन खसरा नम्बरान् के अन्दर से रास्ता दिया जाना किसी प्रकार उचित नही है। नक्शा भी गलत रूप से दिखागया गया है। न ही प्रार्थीगण रास्ते व नक्शे में दिखाये अनुसार रास्ता कटवाने के अधिकारी है। न ही प्रार्थीगण के द्वारा चाहे अनुसार रास्ता दिया जा सकता, न ही इधर से रास्ता न देने पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न उठाता है, न ही सरकार की यह मंशा रही है कि खातेदार को बर्बाद कर उसकी भूमि के बीच में से रास्ता दिया जाये । प्रार्थी को वे सभी तथ्य अपनी दरख्वास्त में दर्ज करने चाहिए ... आधार पर वह रास्ता लेना चाहता है। इसलिए भी प्रार्थी की दरख्वास्त चलने ... के को आधार बनाकर वह बहस करना चाहता है। दरख्वास्त में दर्ज होना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अपनी दरख्वास्त में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
26/12/23

तथ्य बिल्कुल गलत दर्ज किया है कि नजरी नक्शा में भी गलत दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1265, 1267 की पूर्वी सीमा से होकर कदीमी रास्ता है व वर्तमान में भी चालू है जबकि इन दोनों खसरा नम्बरान् के बीच में अप्रार्थीगण का चाह खसरा नम्बर 1266 स्थित है, जो पूर्वी सीमा के बीच में है और अप्रार्थीगण ने विद्युत पम्पिंग सैट लगा रखा है, विद्युत सम्बन्ध ले रखा है एवं ट्यूबवैल बना रखी है, होदी बना रखी है, गुमटी गना रखी है। इसलिए उसके अन्दर से होकर रास्ता होने का प्रश्न नही उठता। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1265 व 1267 की पूर्वी सीमा से व खसरा नम्बर 1306 के पूर्वी सीमा से होकर रास्ता होने का प्रश्न नही उठता, न कभी रहा है, न वर्तमान में है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यो को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है और सरकार ने जो रास्ता के प्रावधान दिये है उनके उद्देश्यो के खिलाफ है। इसलिए भी प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 10 के बीच में कदीम से तनाव रहा है तथा मुकदमेंबाजी चले आ रहे है। जिनमें फौजदारी मामले विशेष रूप से चले है, चूंकि खसरा नम्बर 1313 पर कब्जा कदीम से अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 10 का चला आ रहा था और उसको लेकर फौजदारी व दीवानी मुकदमें चले है। इसलिए यह किसी भी हालत में सम्भव नही की खसरा नम्बर 1267 व 1625 में से होकर प्रार्थीगण का आना जाना रहा हो। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अपना राजनैतिक प्रभाव दिखाने हेतु व अवैधानिक रूप से रास्ता लेने हेतु यह गलत दरख्वास्त पेश की है। खसरा नम्बर 1306 के खातेदार सिद्धराम के पुत्र भगवानसहाय के हिस्से में यह भूमि आई हुई है और वही इस पर काबिज काश्त है और उससे भी प्रार्थीगण के फौजदारी मुकदमें चल रहे है। इसलिए खसरा नम्बर 1306 में से रास्ता कदीम से सिद्धराम के द्वारा दिया जाना सम्भव नही है, ना कभी दिया गया। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इसलिए जोड़ी गई है कि काश्तकार अपनी भूमि को अपने रिहायशी मकान में जाकर काश्त कर सके। इस मामले में यह तथ्य लागू नही होता। चूंकि प्रार्थीगण स्वंय दरख्वास्त में यह कथन करते आये है कि वे भूमि खसरा नम्बर 1308 में मकान बनाकर रह रहे है व इसी भूमि में निवास करते है। इसलिए भूमि को काश्त करने सम्बन्धी कोई अवरोध होने का प्रश्न ही नही उठता। प्रार्थीगण सीधे अपने कृषि भूमि व निवास स्थान से रोड़ पर आना चाहते है और इस प्रकार का रास्ता प्रार्थीगण धारा 251ए में प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का रोड़ पर जाने का [illegible] में है जो खसरा नम्बर 1313, 1311, 1312 के दक्षिण में अणतपुरा [illegible] है। उससे पश्चिम की तरफ चलकर जो कदीम में रास्ता अणतपुरा [illegible] मिल जाता है और यह रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हमेशा से खुला रहता है और इसी में से प्रार्थीगण का आना जाना रहा है व चालू है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यो को छुपाया है एवं अदालत हाजा को गुमराह कर अप्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य नही है। इसलिए भी दरख्वास्त खारिज किये जाने योग्य है। जिस आशय से एवं बदनियति से अदालत के समक्ष प्रार्थीगण आये है। उसके अनुसार रास्ता कायम करवाने के अधिकारी नही है, परन्तु फिर भी अगर अदालत रास्ता देना उचित समझे तो प्रार्थीगण जवाब दरख्वास्त के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 1260 के मध्य से होकर आगे दक्षिण में खसरा नम्बर 1269 की पश्चिमी सीमा व इसके दक्षिण में खसरा नम्बर 1303 व 1302 की पश्चिमी सीमा से होकर आगे खसरा नंम्बर 1302 की दक्षिणी सीमा में से होकर खसरा नम्बर 1309 तक रास्ता देने को सहमत है। यह रास्ता दिय जाने से अप्रार्थीगण की भूमि बर्बाद नही होगी, न ही भविष्य में कोई विवाद रहेगा। अगर यह रास्ता भी प्रार्थीगण नही लेना चाहे तो दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 1255, 1322, 1319 की पूर्वी सीमा से सटाकर उत्तर–दक्षिण व उसके आगे खसरा नम्बर 1319 की दक्षिणी सीमा के सहारे रास्ता निकालकर, खसरा नम्बर 1309 तक देने को सहमत है व इस रास्ता से अन्य लोग भी लाभान्वित होगें। भूमि खसरा नम्बर 1365, 1366, 1367, 1262, 1263, 1264, 1256, 1257, 1255 अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 10 की खातेदारी की है व इनके परिवारजन की खातेदारी की भूमि है और इन खसरा नम्बरान् के बीच में प्रार्थीगण के चाहे अनुसार खसरा नम्बर 1267, 1265 में से रास्ता दिया जाना कानूनन सम्भव नही है। प्रार्थीगण इनको बर्बाद करना चाहते है एवं राजनैतिक दबाव से प्रेरित होकर अप्रार्थीगण की भूमि के बीच में से होकर रास्ता लेना चाहते है , जो किसी भी प्रकार दिया जाना सम्भव नही है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 1306, 1305, 1304, 1320, 1321, 1265, 1260, 1302, 1303 भी अप्रार्थी सिद्धराम इनके परिवारजन की भूमि है और इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नम्बर 10 व इनके परिवारजन को बर्बाद करने व भूमि खसरा नम्बर 1306 में से रास्ता लेने की दरख्वास्त पेश की है ताकि इनका एक जगह जो भूखण्ड विभिन्न खसरा नम्बरो का बना हुआ है, उसे खण्डितं किया जा सके। इसलिए भी प्रार्थीगण की दरख्वास्त कानूनन चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण ने जो कदीम से रास्ता होना अपने दरख्वास्त में दर्ज किया है। उसकी जांच करवाकर प्रार्थीगण की दरख्वास्त खारिज कर दी जावें अगर फिर भी श्रीमान् प्रार्थीगण को रास्ता दिलाना चाहे तो वह अप्रार्थीगण द्वारा संलग्न नक्शे के अनुसार रास्ता कायम कर दिया जावे एव जितनी भूमि रास्ते में [illegible] उसकी दुगनी भूमि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1309 में से उत्तरी पूर्वी कोने में अप्रार्थी [illegible] को दे दी जावे और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

...गर प्रार्थीगण भूमि के बदले भूमि नहीं देवे तो अप्रार्थीगण रास्ता देना चाहते व नहीं प्रार्थीगण ...जबरन रास्ता पाने के अधिकारी है व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

इसके पश्चात दिनांक 25.09.2013 को अप्रार्थी संख्या 4 से 8 व 11 की ओर ...से एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रारंभिक एतराज पेश किया । जिस पर बहस सुनकर बाद मनन ...आदेश दिनांक 25.09.2013 के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रारंभिक एतराज खारिज किया गया । ...प्रकरण में नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थीगण की खातेदारी व ...कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307, 1311 से 1313 व खसरा नम्बर 1308 में ...स्थित प्रार्थीगण के आवासीय मकानात में आवागमन हेतु रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की ...गई । आदेश दिनांक 14.11.2017 के द्वारा भू0अ0 निरीक्षक वृत दिवराला से मौका जांच रिपोर्ट ...लिये जाने के आदेश जारी किये गये । आदेश दिनांक 06.09.2021 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत ...धारा 251 क आर.टी. एक्ट में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जे ...काश्त की कृषि भूमि में आवागमन हेतु चाहे गये 15 फुट के रास्ते के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 की अनुपालना करते हुये तहसीलदार श्रीमाधोपुर से बिन्दूवार रिपोर्ट लिये जाने हेतु तहरीर आदेश जारी किये गये । जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1681/राजस्व/2022 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट पेश हुई । प्रार्थीगण के द्वारा जबाब दरखवास्त बाबत कार्यवाही अबैट प्रार्थना पत्र दिनांक 27.04.202 व प्रार्थना पत्र कायम मुकामी अप्रार्थी संख्या 4, 6 व 11 व प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट सैटअसाईड मयं धारा दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया ।

इसके पश्चात वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में दिनांक 05.06.2023 को एतराज प्रार्थना पत्र रिपोर्ट 21.12.2022 के बाबत एवं दिनांक 06.10.2023 को ऐतराज प्रार्थना पत्र बाबत पटवारी प्रस्ताव दिनांक 14.12.2023 पेश किया गया । दोनो एतराज प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई । प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई । वकील अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस अन्तिम पेश की गई । जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई ।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 में अपने मूल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी नम्बर 1 कृषि भूमि खसरा न... 1308, 1307, कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा ... श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का काबिज खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी नम्बर 2 व 3 भूमि खसरा नम्बर 1311

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1312, 1313 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के काबिज खातेदार काश्तकार है । प्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 1308 में अपने पुख्ता मकानात व आवास बना रखा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि व आवास में उत्तरी तरफ भूमि खसरा नम्बर 1261 की रोड श्रीमाधोपुर से अजीतगढ जा रही है। प्रार्थीगण का भूमि खसरा नम्बर 1267, 1165, 1306 तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की पूर्वी सीमा पर स्थित 15 फुट चौडाई के रास्ता से आवागमन चला आ रहा है। जिसके अप्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है । अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के उक्त रास्ता को बार–बार बंद कर देते है तथा आवागमन में अवरोध पैदा करते रहते है । प्रार्थीगण की भूमि व मकानात में आवागमन का उपरोक्त रास्ता ही एक मात्र रास्ता है अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में कायम करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीगण को अपने आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ाई के रास्ता की आवश्यकता है। जिसके बदले में बाजार की दर कीमत अदा करने को तैयार है या इसके रकबा के बार कृषि भूमि देने को तैयार है। जिसके संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.03.2013 के द्वारा रास्ता बाबत रिपोर्ट पेश की है । इसके अलावा पटवारी हल्का अणतपुरा ने प्रकरण में दिनांक 06.11.2016 को बिन्दुवार जांच रिपोर्ट तैयार की है । जिसमें स्पष्टरूप से अंकित किया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 1308 ढाणी काल्यावाली में मकानात बाडा बनाकर निवास कर रहे है । इस खसरा नम्बर में आवागमन हेतु मौके पर व रिकोर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है । इस खसरा नम्बर में आने जाने हेतु श्रीमाधोपुर – अजीतगढ रोड की दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1267, 1265, 1306 से निकटतम रास्ता बनता है । खसरा नम्बर 1267 में 0.0459है0 व खसरा नम्बर 1265 में 0.0486है0, खसरा नम्बर 1306 में 0.0450है0 रास्ते हेतु खातेदारों की भूमि में से दिया जाना संभव है । जिसको नजरी नक्शे में लाल स्याही से दिखाया गया है । इसके बाद न्यायालय के आदेश क्रमांक /रीडर/2021/1281 दिनांक 14.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1681 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा बिन्दुवार जांच रिपोर्ट पेश की है । जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रार्थीगण द्वारा अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक [illegible] प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम नही होना व इसमें कृषि भू[illegible] होने [illegible]त व खातेदार से सहमति नही होने बाबत रिपोर्ट पेश की । परन्तु [illegible] से 235 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1269 में 290 वर्गमीटर, 1306 में से 200 वर्गमीटर भूमि [illegible] 815 वर्गमीटर भूमि प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यूनतम, निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है । जिसका नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है । उक्त रास्ते के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार बनाया जा चुका है । प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेजात पेश किये गये है । प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकोर्ड में कटा हुआ नही है । इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

अपने प्रकरण के संबंध में अप्रार्थीगण ने निम्न रूलिंग पेश की

2022 (1) डीएनजे (रेवन्यु) पेज नम्बर 1 रामकुंवार बनाम स्टेट आफ राजस्थान

2021 (2) डीएनजे (रेवन्यु) पेज नम्बर 1412 हरखाराम बनाम लालजी वगै0

2022 (2) डीएनजे (रेवन्यु) पेज नम्बर 1603 गावरी बनाम गंगाराम

इसके विपरीत अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस अन्तिम पेश करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307, व 1311, 1312, 1313 तन अणतपुरा के खातेदार होना व खसरा नम्बर 1308 में उनके मकान होना स्वीकार है । खसरा नम्बर 1261 में रोड होना स्वीकर है । भूमि खसरा नम्बर 1267, 1165, 1306 में से प्रार्थीगण का कोई रास्ता नही है, ना ही कभी रहा, नही वर्तमान में है । खसरा नम्बर 1267, 1265, 1306 के बीच चाह खसरा नम्बर 1266 चाह पडता है व गुण की भूमि है । इसमे विघुत संबंध ले रखा है । बदनियति से इधर से रास्ता होना दर्ज किया है । इनके पास वैल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 1313, 1311, 1312 के दक्षिण में अणतपुरा व करीरी कांकड में स्थित है । प्रार्थीगण के पास पहले से रास्ता है । इसक कारण नया रास्ता नही दिया जा सकता । इसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण से खसरा नम्बर 1270, 1269, 1303, 1302, 1301 की पष्चिमी सीमा से व आगे 1301 की दक्षिण सीमा से पूर्व दिष । में 1309 तक रास्ता देने को तैयार है, फिर भी अगर प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1270, 1269, 1303, 1302, 1301 से रास्ता नही लेना चाहते तो दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी देने का वचन दिया है । खसरा नम्बर 1255, 1322, 1319 में जो अप्रार्थीगण की भूमि है, इनके पूर्वी सीमा से रास्ता देने को तैयार है, जो खसरा नम्बर 1309 प्रार्थीगण की भूमि में तब दे दिया जावे । प्रार्थीगण बदनियति से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के बीच से रास्ता लेकर उनकी भूमियों को बर्बाद करना चाहते है। खसरा नम्बर 1306 के मध्य से रास्ते की मांग कर रहे है कि उसके दो टुकडे हो जावे । भूमि के बदले दो गुणा भूमि दिलाई जावे प्रस्तावना ... दिनाक 06.11.2016 भी भेजी है । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा बिन्दूवार जवाब रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 भेजा है । जो कि तहसीलदार ने बिल्कुल गलत सूचना दी है । मौके पर दो रास्ते अब भी चालु है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यूनतम/निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है । जिसका नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है । उक्त रास्ते के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार बनाया जा चुका है । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि दस्तावेजात पेश किये गये है । प्रार्थीगण की भूमि में जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकोर्ड में कटा हुआ नही है । इसलिये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

अपने प्रकरण के संबंध में अप्रार्थीगण ने निम्न रूलिंग पेष की :-

2022 (1) डीएनजे (रेवन्यु) पेज नम्बर 1 रामकुंवार बनाम स्टेट आफ राजस्थान

2021 (2) डीएनजे (रेवन्यु) पेज नम्बर 1412 हरखाराम बनाम लालजी वगै0

2022 (2) डीएनजे (रेवन्यु) पेज नम्बर 1603 गावरी बनाम गंगाराम

इसके विपरीत अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने लिखित बहस अन्तिम पेश करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307, व 1311, 1312, 1313 तन अणतपुरा के खातेदार होना व खसरा नम्बर 1308 में उनके मकान होना स्वीकार है । खसरा नम्बर 1261 में रोड होना स्वीकर है । भूमि खसरा नम्बर 1267, 1165, 1306 में से प्रार्थीगण का कोई रास्ता नही है, ना ही कभी रहा, नही वर्तमान में है । खसरा नम्बर 1267, 1265, 1306 के बीच चाह खसरा नम्बर 1266 चाह पडता है व गुण की भूमि है । इसमे विघुत संबंध ले रखा है । बदनियति से इधर से रास्ता होना दर्ज किया है । इनके पास वैल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 1313, 1311, 1312 के दक्षिण में अणतपुरा व करीरी कांकड में स्थित है । प्रार्थीगण के पास पहले से रास्ता है । इसक कारण नया रास्ता नही दिया जा सकता । इसके अलावा मानवीय दृष्टिकोण से खसरा नम्बर 1270, 1269, 1303, 1302, 1301 की पष्चिमी सीमा से व आगे 1301 की दक्षिण सीमा से पूर्व दिष । मैं 1309 तक रास्ता देने को तैयार है. फिर भी अगर प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1270, 1269, 1303, 1302, 1301 से रास्ता नही लेना चाहते तो दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी देने का वचन दिया है । खसरा नम्बर 1255, 1322, 1319 में जो अप्रार्थीगण की भूमि है, इनके पूर्वी सीमा से रास्ता देने को तैयार है, जो खसरा नम्बर 1309 प्रार्थीगण की भूमि में तब दे दिया जावे । प्रार्थीगण बदनियति से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के बीच से रास्ता लेकर उनकी भूमियों को बर्बाद करना चाहते है। खसरा नम्बर 1306 के मध्य से रास्ते की म[illegible] कि उसके दो टुकडे हो जावे । भूमि के बदले दो गुणा भूमि दिल[illegible] दिनांक 06.11.2016 भी भेजी है । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा बिन्दूवार जबाब पत्रिक दिनांक 20.12.2022 भेजा है । जो कि तहसीलदार ने बिल्कुल गलत सूचना दी है । मौके पर दो रास्ते अब भी चालु है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थीगण के मकान व आराजियात पर जाते है । जो रास्ता प्रस्तावित है उसमें खसरा नम्बर 1270 में अप्रार्थीगण के मकान व लैट्रिन बाथरूम बने हुये है व खसरा नम्बर 1306 का दो भागों में बांटा है । मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा ही तैयार की गई है जबकि भू अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी ही रिपोर्ट तैयार कर सकते है । इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । जिसके संबध मे अप्रार्थीगण ने निम्न रूलिग पेष की :-

आरआरटी 2022-23 पेज नम्बर 282 प्रमोद बनाम सरजीत सिंह

आरआरटी 2023(1) पेज नम्बर 548 जगदीष बनाम बदी

आरआरटी 2017(1) पेज नम्बर 423 गिरधारी बनाम सुल्तान राम

<u>**अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में दिनांक 05.06.2023 को ऐतराज प्रार्थना पत्र रिपोर्ट 21.12.2022 के बाबत एवं दिनांक 06.10.2023 को ऐतराज प्रार्थना पत्र बाबत पटवारी प्रस्ताव दिनांक 14.12.2023 पेश किया गया है । इन दोनों प्रार्थनो पत्रों में समान तथ्य होने के कारण इन दोनो प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है :-**</u>

वकील अप्रार्थीगण ने ऐतराज प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2023 एवं दिनांक 06.10.2023 पर बहस वकुलाय उभय पक्षकरान सुनी गई । दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने ऐतराज प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2023 एवं दिनांक 06.10.2023 में वर्णित कथनों को बार -बार दोहराते हुए अवगत कराया कि राजस्थान सरकार के द्वारा धारा 251(क) व (ख) इस आशय से जोडी गयी है कि अगर पडौसी काश्तकार अन्य खातेदार की चाह से अन्डर ग्राउण्ड पाईप लगाकर सिंचाई करना चाहे तो सिंचाई की जा सकती है। 251(ख) में यह स्पष्ट दर्ज है कि कोई अभिधारी या अभियाधारियो का समूह अपनी जोत या यथास्थिति अपनी जोतो तक पहुचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तरित या चौड़ा कराना चाहता हो और मामला पारस्परिक सहमतिं से तैय नही होता तो ऐसे अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपअधीक्षक जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि:- (क)(1) वे आवश्यकता अत्यधिक आवश्यकता हैं और जोत के केवल सुविधानुसार उपयोग के लिये नही है। (2) अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले पहुचने के वैकल्पिक [illegible] अभाव सिद्ध किया गया है। प्रावधान से स्पष्ट है कि नया रास्ता [illegible] जब ही दिया जा सकता है जब ही उसे आपकी खातेदारी भूमि में पहुचने [illegible]यकता है परन्तु इस प्रावधान का दुरूपयोग करने की किसी भी खातेदार को अधिकार नही है। दरख्वास्त प्रार्थी ने दुर्भावना से प्रेरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

होकर पेश की है चूंकि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307 है और इस भूमि पर प्रार्थीगण पिछले कई 30 वर्षो से पुख्ता मकान बनाकर आबाद है। इसी भूमि पर जाने हेतु रास्ता मांगा गया है जो इस धारा के अन्तर्गत नही दिया जा सकता है। प्रार्थीगण ने स्वंय ने यह दर्ज किया है खसरा नम्बर 1308 में मकान व आवास बनाकर आबाद है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1308, 1309 में इस धारा के अन्तर्गत रास्ता नही दिया जा सकता। मद नम्बर 3 में यह भी कथन दर्ज किया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1367, 1368, 1306 से होकर रोड तक जाते है। यह मामला सुखाधिकार से जुड़ा है। जो केवल सिविल न्यायालय के साथ जुड़ा होना चाहिए न्यायालय में यह दरख्वास्त चलने योग्य नही है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने एतराज प्रार्थना पत्र बाबत पटवारी प्रस्ताव दिनांक 14.12.2022 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307, व 1311, 1312, 1313 तन अणतपुरा के खातेदार है व खसरा नम्बर 1308 में मकान बनाकर प्रार्थीगण आबाद है। प्रार्थीगण की उत्तर की तरफ रोड खसरा नम्बर 1261 जा रही है व मद संख्या 2 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1261 जा रही है व मद संख्या 2 में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1267, 1269, 1306 ग्राम अणतपुरा के पूर्वी सीमा पर 15 फुट रास्ता चालू है, वही एकमात्र रास्ता स्वंय के आगे जाने का बताकर आ रहे है, उसमें बीच में कुआ खसरा नम्बर 1266 चाह पड़ता है, इस कारण उधर से रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता कायम है व दूसरा रास्ता नम्बर 1317, 1316 अणतपुरा से होकर पूर्व में खसरा नम्बर 1335 दिवराला के मध्य से पूर्व पश्चिम चालू है। इससे आगे राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकीन रास्ता 4240 / 1340, 4298 / 1342 तन दिवराला है, जो रोड़ में मिल जाता है व जब पहले से रास्ता चालू है, तो प्रार्थीगण को दूसरा रास्ता नही दिया जा सकता है। नियमानुसार उनकी सुविधा अनुसार दूसरा रास्ता नही दिया जा सकता है। इस बाबत माननीय हाईकोर्ट के निर्णय आर0टी0एक्ट0 2016 पेज नम्बर 649 में स्पष्ट है कि जब वैकल्पिक रास्ता है; तो नया रास्ता नही दिया जा सकता, न ही दूरी के आधार पर दिया जा सकता है। प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण के द्वारा बताये दो रास्ते है, जिनसे होकर आना–जाना है। 251 आर0टी0एक्ट0 में यह प्रावधान है कि रास्ता देने से पूर्व वैकल्पिक रास्ता देखा जाना कानूनन आवश्यक है, अ... दिया जा सकता है। अदालत हाजा ने दिनांक 25.09.2023 को दोनों पक्षों के वकील... सरदार श्रीमाधोपुर को 500 / – रूपये पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया गया कि प्रार्थीगण के मकानो व खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307, 1311 से 1313 तन अणतपुरा में ... की बाबत दोनो पक्षो को सूचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
26/12/23

कर दोनो पक्षो की मौजूदगी मे मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करे व इस बात का उल्लेख करे कि यदि अन्य कोई रास्ता हो प्रस्तावित करे। पत्रावली दिनांक 03.10.2023 को पेश हो। निकटतम के आधार पर नया रास्ता नही दिया जा सकता। रास्ता नया जब भी दिया जा सकता है, जब काश्तकार के पास आने-जाने का कोई रास्ता नही हो। श्रीमान् स्वंय के द्वारा दिनांक 06.09.2021 को आदेश तहसीलदार को दिया गया था, उसमें 4 बिन्दू की बाबत रिपोर्ट चाही गई थी । परन्तु तहसीलदार ने उपरोक्त की पालना नही कर पटवारी से प्रस्ताव बना कर भेजा है। तहसीलदार ने आदेश देकर प्रस्ताव अपने पास मंगा कर भेजा है, जो खारिज करने योग्य है। पटवारी ने रिपोर्ट में अंकित किया कि रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है। यह सरासर गलत दर्ज किया है। दो रास्ते उपलब्ध है, उनकी बाबत रिपोर्ट में दर्ज नही किया, इस कारण तहसीलदार को आदेश दिया जावे कि दोनो पक्षो को नोटिस देकर मौका पर प्रस्ताव बनाकर भेजे व स्वंय जाकर रिपोर्ट मौके अनुसार करे व प्रस्ताव भेजे । इसके अलावा प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम नही है, इसमें कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय हो रहा है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। यह दूरी लगभग 220 मीटर लम्बाई में है। खसरा नम्बर 1306 के बीच से खसरा नम्बर 1208, 1269 व 1271 के पूर्वी सीमा में से रास्ता प्रार्थी की आराजियात से निकटतम है। दूरी लगभग 180 मीटर है, जिसमें 106 मीटर में रास्ता बना हुआ है, जिसमें प्रार्थी आवागमन कर रहा है। रास्ते की अत्यधिक आवश्यक है। पक्षकारान राजीनामें हेतु बातचीत करने को तैयार नही है, जो पक्षकारान मौके पर उपस्थित मिले, उन्हे सहमति आपसी हेतु समझाईश की। उपरोक्त रिपोर्ट पटवारी का प्रस्ताव है। मौके पर तहसीलदार नही गया, न ही पटवारी प्रस्ताव बनाने को सक्षम है, इस कारण खारिज की जाने योग्य है एवं इस रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1306 के बीच से प्रस्तावित है। खेत मे दो टुकड़े होकर कृषि योग्य नही रहेगा। खसरा नम्बर 1271 में लैट्रिन-बाथरूम बने हुये है, इस कारण इस खसरा नम्बर में भी रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः ऐतराज पेश कर निवेदन है कि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 14.12.2022 खारिज फरमाया जावे व न ही पटवारी ने जो रास्ते जिनका उपयोग प्रार्थीगण कर रहे है, जो वैकल्पिक रास्ता है, उनकी बाबत कुछ दर्ज किया। जबकि रास्ता चालू है। उक्त रास्ता होने के कारण प्रार्थीगण को नया रास्ता धारा 251(क) राजस्थान काश्त[illegible] जा सकता है। अतः ऐतराज पेश कर निवेदन हैं कि पटवारी का प्र[illegible]कर तहसीलदार को आदेश दिया जावे । इस कारण पट[illegible]माया, नही निकटतम के आधार पर नया रास्ता दिया जा सकतां है। ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उक्त दोनो एतराज प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने विधिवत तरीके से रिपोर्ट मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड के अनुसार पेश की है । उक्त दोनो प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है । न्यायालय के आदेश क्रमांक /रीडर/2021/1281 दिनांक 14.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1681 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा बिन्दुवार जांच रिपोर्ट पेश की है ।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान दोनो एतराज प्रार्थना पत्र पर दी गई दलीलों पर समौर मनन किया । पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, तहसीलदार जांच रिपोर्ट, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट , जमाबंदी , नक्शा ट्रेस इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया । पत्रावली का परिशीलन किया । जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.09.2021 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि कें संबध आवागमन हेतु चाहे गये रास्ते कें संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकारी) नियम 1955, के नियम संख्या 68–70 की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से बिन्दूवार रिपोर्ट हेतु तहरीर आदेश जारी किये गये थे । जिसके अग्रकम में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश रेवन्यु/22/1597–98 दिनांक 08.12.2022 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक मुण्डरू व पटवारी हल्का अणतपुरा द्वारा दिनांक 13.12.2022 को जांच रिपोर्ट तैयार करते हुये तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रेषित की गई है । इसके बाद तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा न्यायालय के आदेश क्रमांक /रीडर/2021/1281 दिनांक 14.09.2021 की पालना में जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1681 दिनांक 22.12.2022 के द्वारा बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मय अभिशंषा इस न्यायालय में पेश की है । उक्त जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का का प्रस्ताव नही होकर न्यायालय आदेश दिनांक 06.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी पदीय स्थिति में तैयार की गई बिन्दुवार जांच रिपोर्ट है । जो कि इस न्यायालय में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पेश की गई । तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने वैधानिक तरीके से उक्त जांच रिपोर्ट पेश की है । जिसमें कोई विधिक त्रुटि जाहिर नही होती । [illegible] के पास अपनी भूमि में जाने का अन्य वैकल्पिक रास्ता होने का कथन है [illegible] का विनम्र मत है कि अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी [illegible] ट्रेस आदि पेश नही किया है, जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि [illegible] जाने का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

है जिसको छुपाकर या राजस्व रिकोर्ड के विपरीत उक्त जांच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने न्यायालय मे यह रिपोर्ट पेश की हो । यदि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो उसके संबंध में प्रार्थीगण दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने के लिए स्वतंत्र है । अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2023 एवं दिनांक 06.10.2023 को स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर दोनो एतराज प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाते है ।

हमने वकुलाय उभयं पक्षकारान द्वारा बहस अंतिम मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के दौरान दी गई दलीलों पर सगौर मनन किया । पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, तहसीलदार जांच रिपोर्ट, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा, रिपोर्ट , जमाबंदी , नक्शा ट्रेस, पटवारी व गिरदावर हल्का रिपोर्ट, नजरी नक्शा, डी०एल०सी० दरो इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया । पत्रावली का परिशीलन किया । जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307 कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 हैक्टर व खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में व खसरा नम्बर 1308 में स्थित आवासीय मकानात् में आवागमन के 15 फुट चौड़ाई का रास्ता जो अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1267, 1165, 1306 तन ग्राम अणतपुरा में से आवागमन हेतु रास्ता दिलाने के अनुतोष के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । जिसमें निर्विवाद तथ्य यह दर्शित होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व मकानात में जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकोर्ड में कटा हुआ नही है । इसके अलावा पत्रावली के परिशीलन से न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में से रास्ता देने की सहमति का तथ्य स्वीकृत रूप से दंर्शित हुआ है । अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.04.2013 को एतराज प्रार्थना पत्र पेश करते हुए तथ्य अंकित किये गये है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थी की भूमि के बीच से चाहा गया है जो विवाद का कारण होगा व अनावश्यक रूप से मुकदमेगाजी बढेगी । प्रार्थीगण के पास पुराना दूसरा रास्ता होते हुये भी अपनी भूमि में से होकर व इसके अलावा भूमि खसरा नम्बर [illegible] की पूर्वी व दक्षिणी सीमा से होकर रास्ता देने को सहमत है। इसके बदले में खसरा [illegible] में से 1319 से सटाकर पूर्वी सीमा से जो भूमि दी जायेगी उससे दुगनी भूमि लेने को सहमत है । इसके अलावा पत्रावली के परिशीलन से न्यायालय के समक्ष यह दर्शित हुआ है कि अप्रार्थी[illegible] संख्या 1 ता 10 द्वारा प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जबाब दिनांक 03.06.2013 को पेश किया गया है । जिसमे अप्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थीगण को रास्ता देने की सहमति का तथ्य स्वीकृत रूप से दर्शित हुआ कि अगर अदालत रास्ता देना उचित समझे तो प्रार्थीगण जवाब दरख्वास्त के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 1260 के मध्य से होकर आगे दक्षिण मे खसरा नम्बर 1269 की पश्चिमी सीमा व इसके दक्षिण में खसरा नम्बर 1303 व 1302 की पश्चिमी सीमा से होकर आगे खसरा नम्बर 1302 की दक्षिणी सीमा में से होकर खसरा नम्बर 1309 तक रास्ता देने को सहमत है। यह रास्ता दिय जाने से अप्रार्थीगण की भूमि बर्बाद नही होगी, न ही भविष्य में कोई विवाद रहेगा। अगर यह रास्ता भी प्रार्थीगण नही लेना चाहे तो दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 1255, 1322, 1319 की पूर्वी सीमा से सटाकर उत्तर–दक्षिण व उसके आगे खसरा नम्बर 1319 की दक्षिणी सीमा के सहारे रास्ता निकालकर, खसरा नम्बर 1309 तक देने को सहमत है व इस रास्ता से अन्य लोग भी लाभान्वित होगें। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण को अपनी ख़ातेदारी भूमि में से रास्ता देने की सशर्त सहमति प्रदान की गई है । न्यायालय के समक्ष पत्रावली के परिशीलन से एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही हुआ है , जिससे दर्शित होता हो कि प्रार्थीगण के पास स्वयं की खातेदारी भूमि में जाने का कोई रास्ता राजस्व रिकोर्ड में कटा हुआ हो । जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा जहां से रास्ते दिये जाने की सहमति प्रदान की गई है उनके संबंध में राजस्व रिकोर्ड , नक्शा ट्रेस के परिशीलन से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा जिन खसरा नम्बरान से होकर रास्ता देने बाबत सहमति प्रदान की गई है , वह रास्ता दीर्घतम है तथा वहां से रास्ता दिये जाने कृषि भूमि का क्षय अधिक होगा । जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता दिए जाने के लिए जिन खसरा नम्बरान में से जिस ओर से रास्ता दिए जाने की सहमति देते हुये दो रास्ते स्वयं की ओर से प्रस्तावित किया है उसमें प्रथम रास्ता खसरा नम्बर 1257, 1255, 1322, 1319 से होकर प्रस्तावित किया है । जिसके नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते से दीर्घतम है तथा कृषि भूमि का अतिरिक्त क्षय हो रहा है । इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित दुसरा रास्ता जो कि खसरा नम्बर 1260 के मध्य से होकर आगे दक्षिण में खसरा नम्बर 1269 की पश्चिमी सीमा व इसके दक्षिण में खसरा नम्बर 1303 व 1302 की पश्चिमी सीमा से होकर आगे खसरा नम्बर 1302 की दक्षिणी सीमा में से होकर खसरा नम्बर 1309 तक बताया है, उसके नक्शा ट्रेस के अवलोकन से भी यह रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते से दीर्घतम है तथा कृषि भूमि का अतिरिक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

23

...ट हो रहा है । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित उक्त रास्ता प्रस्ताव के अवलोकन से न्यायालय के
...वहीं यह तथ्य जाहिर हो रहा है कि वास्तव में अप्रार्थीगण [illegible] करते हुये प्रार्थीगण को
रास्ता देना ही नही चाहते । क्योंकि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible] में होते हुये
इनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1306 व 1304 की पश्चिमी सीमा के सहारे [illegible]
बताया है । परन्तु अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1269 की पश्चिमी सीमा व इसके दक्षिण में खसरा
नम्बर 1303 व 1302 की पश्चिमी सीमा से होकर आगे खसरा नम्बर 1302 की दक्षिणी सीमा से हो
होकर खसरा नम्बर 1309 तक रास्ता प्रस्तावित किया है । इस प्रकार इनके कथन व आचरण
नितांत विरोधाभासी है । यहां न्यायालय का स्पष्ट मत है कि किसी भी खातेदार को विधि के
प्रावधानों के तहत अपनी जोत तक पहुच मार्ग/रास्ता देने हेतु किसी भी खातेदार व पक्षकार की
सहमति व असहमति का कोई महत्व नही है । यहां न्यायालय का अधिकार है कि वह वैधानिक
तरीके से ऐसा खातेदार जिसके पास अपनी जोत तक पहुंच मार्ग/रास्ता नहीं है उसको रास्ता
दिलवाये । यहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) निम्न प्रकार है- 23

अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना.-(1) जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता हैय या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप-खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप-खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट [illegible] के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है [illegible] धारित करता है, द्वारा सीमांकित

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि [illegible] तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

... या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, ... में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नही किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से ... एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को ... फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि ... धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति ... उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

इसके संबंध में भूमिधारी तहसीलदार की जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है । भूमिधारी तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 के अनुसार प्रार्थीगण के पास रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम नही है, इसमें कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय हो रहा है। यह केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। इसी अनुकम में तहसीलदार द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1268 में से 235 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1269 में 290 वर्गमीटर, 1306 में से 200 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1271 में से 90 वर्गमींटर भूमि भूमि कुल 815 वर्गमीटर भूमि लघुतम/निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है । जिसका नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया है । इस प्रकार तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 1268 में से 235 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1269 में 290 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1271 में से 90 वर्गमीटर भूमि , खसरा नम्बर 1306 में से 200 वर्गमीटर भूमि कुल 815 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित की [illegible] है । तहसीलदार द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रस्तावित उक्त रास्ता भूमि के नवीन अभिधारियों को प्रकरण में [illegible] लाया जाकर जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब किया गया । परन्तु इनके [illegible] के बावजुद हाजिर नही आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है [illegible] इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23

हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट की बिन्दु संख्या 4 में प्रस्तावित /निकटतम रास्ता दिलाया जाना उचित प्रतित होता है । जिससे कृषि भूमि का अतिरिक्त नही होगा तथा प्रार्थीगण की जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिये उक्त रास्ता होना भी नही होगा । इसके अलावा उक्त रास्ता लघुतम/निकटतम भी है । यहां उल्लेखनिय है उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1306 के मध्य से होकर प्रस्तावित किया गया है । चलते उक्त खसरा नम्बर 1306 के मध्य से दो टुकडे हो रहे है । इसलिये इस प्रस्तावित को खसरा नम्बर 1306 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे होते हुये आगे पूर्वी सीमा के सहारे होते हुये प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1309 तक संशोधित किया जाना न्यायोचित है । इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी आराजियान में जाने हेतु श्रीमाधोपुर– अजीतगढ सडक मार्ग से चालु होकर भूमि खसरा नम्बर 1268 में से 235 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1269 में 290 वर्गमीटर , खसरा नम्बर 1271 में से 90 वर्गमीटर भूमि, खसरा नम्बर 1306 में से उत्तरी सीमा व आगे पूर्वी सीमा के सीमा के सहारे सहारे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1309 तक 15 फुट चौडाई का रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है । 8-12-23

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही होने, जोत के सुविधाजनक उपयोग हेतु नही होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का कोई रास्ता रिकोर्डेड रूप से नही होने व रिकोर्डेड रास्ते से निकटतम /लघुतम होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी आराजियान में जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1268 में से 235 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1269 में 290 वर्गमीटर , खसरा नम्बर 1271 में से 90 वर्गमीटर भूमि एवं खसरा नम्बर 1306 में से उत्तरी सीमा व आगे पूर्वी सीमा के सीमा के सहारे सहारे भूमि खसरा नम्बर 1309 की उत्तरी सीमा तक 15 फुट चौडाई का रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है । तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1268 में से 235 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1269 में 290 वर्गमीटर , खसरा नम्बर 1271 में से 90 वर्गमीटर भूमि एवं भूमि खसरा नम्बर 1306 की उत्तरी सीमा व उससे आगे पूर्वी सीमा के सीमा के सहारे सहारे भूमि खसरा नम्बर 1309 की उत्तरी सीमा ... चौडाई के रास्ते के काम आने वाली भूमि का क्षेत्रफल व उसकी प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राजकोष में जमा की जाने के उपरान्त उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकोर्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है । तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थीगण से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकोर्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है । अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे ।

–:: कियात्मक आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1309, 1308, 1307 कुल किता 3 कुल रकबा 2.90 हैक्टर व खसरा नम्बर 1311, 1312, 1313 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 हैक्टर तन ग्राम अणतपुरा पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में व खसरा नम्बर 1308 में स्थित आवासीय मकानात् में आवागमन हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 1268 में से 235 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1269 में 290 वर्गमीटर , खसरा नम्बर 1271 में से 90 वर्गमीटर भूमि व खसरा नम्बर 1306 में से उत्तरी सीमा व आगे पूर्वी सीमा के सीमा के सहारे सहारे भूमि खसरा नम्बर 1309 की उत्तरी सीमा तक 15 फुट चौडाई रास्ते की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज राजस्व रिकोर्ड किया जावे । चूंकि रास्तें में लगने वाली भूमियां बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबंदी रखी जावे । तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को जांच रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 1268 में से 235 [illegible] खसरा नम्बर 1269 में 290 वर्गमीटर खसरा नम्बर 1271 में से 90 वर्गमीटर [illegible] 13[illegible] में से उत्तरी सीमा व आगे पूर्वी सीमा के सीमा के सहारे सहारे भूमि खसरा [illegible] फुट चौडाई के रास्ते में दी जाने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण व[illegible] प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्तें में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested

26/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकोर्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे । अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

26/12/23

दिलीप सिंह (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/12/23

दिलीप सिंह (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.02 13:01:03 IST
Reason: SelfAttested